

18/5/10

पत्रावली के मुद्दाम आप के  
द्वारा अधीन में प्रेषित हुई जा रही  
उपाक्षिप्त नहीं। नुही नोटिस  
असकत प्रेषित किसे। इसलि 0 पूर्व  
आदेशों की पालना न करने पर  
प्रापका अंतर्गत धारा 212 RT  
Act को CPC की धारा 09A के  
के तहत ग्वारित किया जाता है।  
पत्रावली के लाल अंश होकर कर  
नम्बर नि कम है। बाद पूर्व  
दाखिल लम्बर है।

सपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़